संख्या– 422 /XVIII-(2)/07–12(3)/2007

प्रेषक,

पी.एस. जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 17 मई, 2007

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सातसिलिंग–थल मोटर मार्ग की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प.सं. र–3533/तेरह–5(06–07) दिनांक 22 मार्च, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सातसिलिंग–थल मोटर मार्ग के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 41.33 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 40,10,000/– (रू0 चालीस लाख दस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति, कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐ तकनीकी पक्ष को दृष्टि रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नहीं हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाये।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जाये कि उक्त विवरण सही एवं औचित्य पूर्ण है।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का आंकलन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें–0101 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय(75 केन्द्रांश)–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–522/वित्त अनु0 5/2007 दिनांक 04.05.2007 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी.एस. जंगपांगी)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
6– निजी सचिव, मा. आपदा प्रबन्धन मंत्री, उत्तराखण्ड।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–5,
10– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी.एस. जंगपांगी)
अपर सचिव